तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/23	पत्रावली पेश हुई। वाकुलाय उपस्थित। वादी द्वारा यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वर्ष 2019 में पेश किया गया था। प्रतिवादी संख्या 01 कि ओर से मधुसुदन व्यास जी अधि० ने वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 05 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा मौजूदा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 से 04 कि तामील हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारीत किये जाने के बाद भी किसी प्रकार कि कोई पालना नहीं कि गई है जो वादी कि उदासीनता दर्शाता है ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा न्यायालय के आदेशों कि पालना नहीं किये जाने के कारण वाद वादी का निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी द्वारा कोई लिखित में जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस सुनी गई। वादी अधि० का कथन है कि हस्तगत प्रकरण के स्थानान्तरण कि वादी पक्ष को कोई जानकारी नहीं थी जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश प्रा० पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 अधि. ने बहस के दौरान अपने द्वारा पेश प्रा० पत्र के तथ्यों को दौराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा दिनांक 5/8/2021 को स्थानान्तरित किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी अधि० 01 कि ओर से दिनांक 2/11/2022 को वादी अधि. को प्रा.पत्र कि प्रति उपलब्ध करवाते हुए प्रा० पत्र 09 R 5 R/W 151 CPC का पेश किया गया था। किन्तु उसके बाद भी उक्त दिनांक को वादी द्वारा न्यायालय में उप. नहीं दी गई। आदेशिका दिनांक 11/1/2023, 10/2/2023 एवम् 27/6/2023 से भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वादी को न्यायालय में प्रकरण के स्थानान्तरित होने एवम् लम्बित होने कि पूर्ण एव विधिवत जानकारी रही है किन्तु उसके बावजुद भी वादी द्वारा प्रति० संख्या 2 से 4 कि तामील हेतु किसी प्रकार कि कार्यवाही नहीं कि। जिससे यह स्पष्ट:	Sd/- (वादी अधि.) Sd/- (M.S. Vyas)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी
	सिद्ध है कि वादी प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब करने के नियत से उदासीनता बरत रहे है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र O 9 R 5 R/w 151 CPC स्वीकार योग्य होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अदम-पालना में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)	
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट * जोधपुर (दक्षिण) *		